त्रिपुरा विश्वविद्यालय / TRIPURA UNIVERSITY

सूर्यमणिनगर / Suryamaninagar, त्रिपुरा / Tripura - 799022

फा.सं.-एफ.टीयू/रजि./जी.-एडमिन/05/2015(वॉ.-V) दिनांक : 31.08.2020

अधिसूचना

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर बिजली (पावर) आपूर्ति (यूपीएस) नीति बनाई गई है। यूपीएस संबंधी जानकारी इकट्ठा करने हेतु परिपत्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रपत्र विश्वविद्यालय के सभी अनुभागों को प्रेषित किया गया है।

(डॉ. के. बी. जमातिया)
कुलसचिव(प्र.)

संलग्नक : यूपीएस नीति संबंधी कागजात।

प्रति :

1. विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, त्रिविवि
2. सभी अकादमिक/ प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी, त्रिविवि
3. वित्त अधिकारी, त्रिविवि
4. यूपीएस कमिटी के सभी सदस्य
5. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी
6. मा. कुलपति के निजी सचिव, त्रिविवि

अनुवाद सत्यापित

Muneendra Mishra
सहायक निदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (O.L.)
त्रिपुरा विश्वविद्यालय
Tripura University.

निरंतर बिजली (पावर) आपूर्ति नीति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

नीति 1.:

यूपीएस के रखरखाव के लिए अर्धवार्षिक अनुबंध दर निर्धारित होना चाहिए। त्रिपुरा विश्वविद्यालय में कार्यरत व खराब पड़े सभी प्रकार के यूपीएस से संबंधित विस्तृत जानकारी अर्धवार्षिक आधार पर यूपीएस समिति द्वारा निर्मित गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन इकट्ठा किया जाएगा। समिति द्वारा एकत्रित अर्धवार्षिक सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा यूपीएस के रखरखाव के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस निविदा दस्तावेज को पहले यूपीएस समिति और फिर बाद में विश्वविद्यालय प्राधिकरण से अनुमोदित कराने के उपरांत वित्त अधिकारी के कार्यालय द्वारा इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यूपीएस रखरखाव के लिए आए निविदा को वित्त अधिकारी के कार्यालय में वित्त अधिकारी तथा यूपीएस समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जाएगा तथा रखरखाव के लिए आए निविदा में से अर्धवार्षिक आधार पर विक्रेता (वेंडर) का चयन किया जाएगा।

अर्धवार्षिक अनुबंध दर की व्याख्या :

a) यूपीएस के रखरखाव/ बदलने के लिए आए निविदा में से सबसे कम दर (एल-1) को चुनना होगा।

b) तीन महीने की समाप्ति के उपरांत तीन महीने के दौरान यूपीएस रखरखाव संबंधी विस्तृत जानकारी के साथ संबंधित विक्रेता (वेंडर) अपना व्यापक बिल यूपीएस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

c) यूपीएस समिति के समक्ष बिल प्रस्तुत होने के उपरांत समिति उस बिल में उल्लेखित कार्य की समीक्षा कार्यकारी अभियंता के कार्यालय के माध्यम से करवाएगा। अपेक्षित समीक्षा रिपोर्ट मिलने के उपरांत उस बिल को यीपीएस समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कर अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा। इसके उपरांत उस वेंडर के बिल का भुगतान निविदा में निर्दिष्ट दर के अनुसार किया जाएगा।

नीति 2. :

यीपीएस संबंधी किसी अति आवश्यक समस्या के तत्काल निदान के लिए निम्नलिखित छः कदम उठाए जाएंगे :

i. कोई भी अकादमिक या प्रशासनिक विभाग/ शाखा/ केन्द्र, जहां यूपीएस सेवा बहाल है और यदि उनके यहां लगे हुए यूपीएस के माध्यम से निरंतर पावर की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न होती है तो वे इसकी तत्काल शिकायत कार्यकारी अभियंता (इक्जीक्यूटिव इंजीनियर), त्रिपुरा विश्वविदायलय के कार्यालय (इंजीनियरिंग सेल) में दूरभाष/ मेल/ जाकर अथवा अन्य किसी माध्यम से दर्ज कराएं। यूपीएस संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु दूरभाष सं. : 9774515220 व ई-मेल आईडी : ups@tripurauniv.in इस प्रकार से हैं।

ii. शिकायत मिलने के बाद इंजीनियरिंग सेल, त्रिविवि तत्काल इलेक्ट्रिशियन एक दल (टीम) को संबंधित शिकायत स्थल पर भेजेगा कि वह पता लगाए कि निरंतर

पावर आपूर्ति में आ रही दिक्कत यूपीएस से है अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रिकल समस्या है। यदि आवश्यक हुआ तो इलेक्ट्रिशियन यूपीएस से जुड़े इलेक्ट्रिकल सप्लाई को सुरक्षा कारणों से बंद कर देगा।

iii. जब इंजीनियरिंग सेल का इलेक्ट्रिशियन संबंधित शिकायत पर कार्रवाई कर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि खराबी यूपीएस में है न कि इलेक्ट्रिकल पार्ट पर तो वह इसकी जानकारी विद्युत अभियंता (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर) को देगा और विद्युत अभियंता (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर) लिखित में इसकी जानकारी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को देगा जिसमें उस यूपीएस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दर्ज होगी यथा – केबीए, ब्रांड, मॉडेल आदि संबंधित जानकारी। सभी प्रकार के लिखित पत्राचार के लिए जहां तक संभव हो ई-मेल का सहारा लिया जाएगा।

iv. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मिले पत्र का हवाले देते हुए संबंधित विभागाध्यक्ष/ प्रभारी अपनी शिकायत यूपीएस कमिटी के अध्यक्ष को ई-मेल के माध्यम से भेज देगा। इस कार्रवाई के दौरान वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पत्र को भी संलग्न कर देगा।

v. शिकायत प्राप्त होने के उपरांत यूपीएस समिति का अध्यक्ष तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित यूपीएस विक्रेता (वेंडर) को संपर्क कर उसे इसे अविलंब ठीक करने का निर्देश देगा।

vi. यूपीएस संबंधी समस्या के निराकरण के उपरांत संबंधित वेंडर यूपीएस समस्या निराकरण प्रपत्र को संबंधित विभाग/ शाखा के अध्यक्ष/ प्रभारी से अग्रेषित करवा कर उसे यूपीएस समिति के अध्यक्ष को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर देगा।

नीति 3. :

ऐसी परिस्थिति जब नीति 1 में उल्लिखित विषय वस्तु का समय खत्म हो रहा हो अथवा वह लागू न हो अथवा नवीकरण का समय आ गया हो और इसपर निर्णय नहीं हो पया हो, तो ऐसी स्थिति में यीपीएस समिति के अध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मदद से उसका तत्काल निदान वर्ष 2017 के जीएफआर नियम 154 के अंतर्गत करेंगे।

नीति 4. :

नए यूपीएस खरीद के लिए आए मांग पत्र पर विचार यूपीएस समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा के उपरांत ही किया जाएगा।

नीति 5. : यूपीएस समिति प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और उस अवधि के दौरान अपने द्वारा कृत कार्रवाई की रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। यूपीएस समिति की बैठक फिजिकल, ऑनलाइन अथवा हाइब्रिड (फिजिकल तथा ऑनलाइन दोनों) मोड में आयोजित किया जाएगा।

सत्यापित

मुनीन्द्र मिश्र
Muneendra Mishra
सहायक निदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (O.L.)
त्रिपुरा विश्वविद्यालय
Tripura University